

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3 महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक - एफ 1(2)ग्रावि/ नरेगा/ माद/2012

जयपुर दिनांक 20/04/2020

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।


विषय - महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के समय के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 19 के अनुसार 8 घण्टे की कार्य अवधि मय 1 घण्टे के विश्राम काल के निर्धारित है। राज्य में अत्यधिक गर्मी के मौसम को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत कार्यों का समय तुरन्त प्रभाव से प्रातः 6.00 बजे से मध्यान्ह 1.00 बजे तक (विश्राम काल 30 मिनट रहित) निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरान्त एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरान्त कार्य स्थल छोड़ सकता है।


यह व्यवस्था दिनांक 15.07.2020 तक अथवा मानसून आने तक, जो भी पहले हो तक के लिए प्रभावी रहेगी। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

कृपया तदनुसार कार्यवाही संपादित कराना सुनिश्चित करें।


(अरविन्द सक्सेना)
अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अनावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 उप मुख्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
5. संभागीय आयुक्त, समस्त।
6. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
7. मुख्यालय पर पदस्थापित समस्त अधिकारीगण।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. समस्त जिला प्रभारी सचिव।
10. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी ईजीएस, समस्त राजस्थान।
11. श्री शशीकान्त मुन्जाल, एसीपी, को ईमेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड वास्ते।
12. रक्षित पत्रावली।


अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस